

राजस्थान सरकार
आबकारी विभाग

संशोधन पत्र

वर्ष 2021-22 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाईन खुदरा विक्रय दुकान (कम्पोजिट दुकान) के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तें—

आवेदन के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या 4.1 के नीचे 4.2 व 4.3 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

- 4.2 इच्छूक बोलीदाता को रिजर्व प्राईज से कम से कम 5000/-रु. बढ़ाकर बोली लगानी होगी। बोली प्रारम्भ होने के बाद पिछली बोली राशि से भी कम से कम 5000/-रु. बढ़ाकर बोली लगानी होगी।
- 4.3 इच्छूक बोलीदाता रिजर्व प्राईज/पिछली बोली (Last Bid Amount) राशि से 5 प्रतिशत से अधिक राशि बढ़ाकर बोली नहीं लगा सकेगा।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर